

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 30/2026

दायर दिनांक: 02.02.2026

उनवान

गेंदी बाई पुत्री उंकार पत्नि रामचंद्र जाति दांगी नि. खिजरपुर तहसील
रायपुर हाल निवासी गिरधरपुरा, झालरापाटन

- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक :30.03.2026

प्रार्थीया गेंदी बाई पुत्री उंकार पत्नि रामचंद्र जाति दांगी नि. खिजरपुर तहसील रायपुर हाल निवासी गिरधरपुरा, झालरापाटन द्वारा ग्राम बानोर के खाता संख्या 440 में नाम दुरुस्ती बाबत पेश प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/रेकार्ड, यथा ग्राम बानोर की जमाबंदी संवत् 2072 से 75, गेंदी बाई पुत्री उंकार पत्नि रामचंद्र जाति दांगी का आधारकार्ड (850167525266), परिवार राशन कार्ड क्रमांक 200000784922, जनआधार कार्ड क्रमांक 4761637814, ग्राम खिजरपुर तहसिल रायपुर के खाता संख्या 17, 18 व 19 की जमाबंदी संवत् 2072 से 75, ग्राम पंचायत फतेहगढ का प्रमाण पत्र दिनांक 21.09.2024 तथा तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट दिनांक 04.03.2026 एवं ग्राम बानोर के फोती नामांतरण संख्या 234 दिनांक 06.01.1983 तथा ग्राम खिजरपुर की नामांतरण संख्या 63 दिनांक 21.12.1982 का अवलोकान किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अतः ग्राम बानोर पटवार मण्डल बानोर तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 मे गत खाता संख्या 440 किता 4 हाल खाता संख्या 76 किता 11 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के तहसीलदार रायपुर को आदेश दिये जाते है :-




उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)



क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम बानोर पटवार मण्डल बानोर तहसील रायपुर	गत खाता 440 हाल खाता संख्या 76	हुडीवाई पुत्री उंकार	गेंदीवाई पुत्री उंकार



 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला झालावाड़
 पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक:- राजस्व / 2026 / 30

दिनांक 30.03.2026

प्रतिलिपी - तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।




 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला झालावाड़
 पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)